सं०सं०– 6/N-01-33/15 882 (6) / 04/09/2015

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ,
बिहार, पटना

आदेश

सभी सिविल सर्जन पत्रांक–882(6) दिनांक 04.09.2015 को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट www.health.bih.nic.in से डाउनलोड कर उल्लेखित नियुक्त ए०एन०एम० का ही योगदान स्वीकार करेंगे ।

2. सूची में उल्लेखित वरीयता क्रमांक के अनुसार ही योगदान स्वीकार करेंगे । किसी भी परिस्थिति में वरीय ए०एन०एम० का योगदान अस्वीकृत कर कनीय ए०एन०एम० का योगदान स्वीकृत नहीं करेंगे ।

3. सभी नियुक्त ए०एन०एम० पत्र निर्गत की तिथि से 20 दिनों के अन्दर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे 20 दिनों के बाद योगदान देने वाले ए०एन०एम० का सिविल सर्जन बिना अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के योगदान स्वीकार नहीं करेंगे ।

4. योगदान के समय सभी ए०एनए०एम० अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र ए०एन०एम० निबंधन प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति दो सेटो में अलग सेट बनाकर समर्पित करेंगे तथा साथ ही अपना स्वहस्ताक्षरीत दो पासपोर्ट फोटो भी समर्पित करेंगी ।

5. योगदान के आवेदन के साथ सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे ।

6. नियुक्त ए०एन०एम० की पदस्थापन संबंधीत जिला के समिति के द्वारा किसी भी स्वास्थ्य उपकेन्द्र /अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ अनुमंडलीय अस्पताल/ जिला अस्पताल में किया जा सकता है । इस संबंध में किसी भी ए०एन०एम० को इच्छानुसार पदस्थापन नहीं की जायेगी ।

7. योगदान के पश्चात पदस्थापन क्षेत्र के मुख्यालय में अपना आवास रखना सुनिश्चित करेंगे ।

8. संबंधित सिविल सर्जन दिनांक 12.09.2015 तक प्राधिकृत विशेषदूत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भेजकर उनके जिलों में नियुक्त ए०एन०एम० की मूल प्रमाण पत्र एवं आवश्यक कागजात प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।

9. सभी संबंधित सिविल सर्जन योगदान के पश्चात सभी ए०एन०एम० के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र/ आवासीय प्रमाण पत्र ए०एन०एम० निबंधन प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की सत्यता की जॉच सुनिश्चित करने के बाद ही उनके वेतन का भुगतान करेंगे तथा इस संबंध में एक संकलित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

आ० प्रसाद
4/9/15

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक – 882(6) पटना, दिनांक 04/09/2015

प्रतिलिपि – प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सभी सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सभी अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा–6), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित ।

आ० प्रसाद
4/9/15

निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना ।